राजस्थान सरकार

श्री भैरोंसिंह शेखावत

मुख्य मंत्री

का

बजट भाषण

1992-93

बुधवार, 4 मार्च, 1992

श्रीमन्,

मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं ।

2. पिछले दशक में केन्द्रीय सरकार द्वारा अव्यवहारिक आर्थिक नीतियां अपनाने के कारण देश को आज विकट आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा भारी अनुत्पादक व्यय किया गया, विदेशी मुद्रा का अयुक्तिपूर्ण उपयोग किया गया। करोड़ों रुपयों का घाटा बजट में अपूरित रखा गया जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ी। आवर्तक व्यय में हुई वृद्धि के फलस्वरूप पूंजीगत विनियोग में कमी हुई, भारी मात्रा में ऋण लेने से देश की ऋण भुगतान दायिता में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। बिगड़ते भुगतान संतुलन की स्थिति से उबरने के लिये भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से महंगे ऋण लिये। हालत बिगड़ती-बिगड़ती यहां तक पहुंची कि अंत में केन्द्र को सोना तक विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। आयात पर कड़े प्रतिबन्ध लगाने पड़े तथा रुपये का गत वर्ष दो बार अवमूल्यन करना पड़ा। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष ऋण लेने के लिये जाना पड़ा। केन्द्र द्वारा कोयला, लोहे, पेट्रोल, रसायनिक खाद, राशन के गेहूं व चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई गई। रेल भाड़े में वृद्धि करके तथा अतिरिक्त कर लगाकर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भार महंगाई से परेशान आम आदमी पर डालकर उसका जीवन और बोझिल बनाया गया।

3. हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों तथा केन्द्र का अपना-अपना स्थान है। आपसी सहयोग व सामंजस्य से ही वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। पिछले

वर्षों में सत्ता के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण केन्द्र सरकार ने राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर निरंतर अतिक्रमण किया है और आज हालत यहां तक हो गई है कि राज्य सरकारों के पास पेयजल, शिक्षा, बिजली, चिकित्सा आदि आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये भी आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं हैं। पूर्व वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा आयकर एवं उत्पाद शुल्क बढ़ाने के बजाय उन पर लगाये गये अधिभार बढ़ाने के प्रयत्न किये जाते रहे हैं ताकि राज्यों को इस अतिरिक्त आय का हिस्सा नहीं देना पड़े। इसी प्रकार केन्द्रीय आबकारी कर बढ़ाने के बजाय प्रशासित मूल्य बढ़ा दिये जाते हैं ताकि इनसे मिलने वाली अतिरिक्त आय की सारी राशि केन्द्र सरकार अपने पास रख ले और राज्यों को उसका हिस्सा न मिले। मुझे यह कहते हुए अवश्य खुशी है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 1992-93 के केन्द्रीय बजट में इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दिशा में कुछ सार्थक प्रयास किये हैं। कारपोरेशन टैक्स से प्राप्त आय का राज्यों में वितरण नहीं किया जाता। उद्यमियों द्वारा राज्य में उत्पादित माल, डिपो ट्रान्सफर के रूप में, अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है जिससे ऐसे माल की बिक्री का लाभ हमें नहीं मिलता। खेपकर लगाकर इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए संविधान में संशोधन हुए 10 वर्ष का समय हो गया है फिर भी केन्द्र सरकार द्वारा अब तक इस बारे में कानून नहीं बनाया गया। इससे राज्य की आय में भारी हानि हो रही है। राजस्थान खनिज प्रधान प्रदेश है। खनन कार्य से हमें रायल्टी मिलती है। अप्र खनिजों पर भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष बाद रायल्टी में वृद्धि करने का कानूनी प्रावधान है लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार द्वारा रायल्टी में वृद्धि विलम्ब से की जाती है। सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि भारत सरकार अप्रधातुओं की रायल्टी का रिवीजन तीन साल के बजाय दो वर्ष में करे लेकिन इसको भी केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं

किया गया है। अल्प बचत योजनाओं में विनियोजन का 75 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों को ऋण के रूप में मिलता है लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं को म्यूचुअल फण्ड, जीवन बीमा निगम, एच.डी.एफ.सी. सरीखी संस्थाओं की योजनाओं से कम आकर्षक कर दिया गया है। अगले वर्ष केन्द्रीय बजट में किये प्रावधानों से अल्प बचत योजनाओं में विनियोजन और भी कम होने की सम्भावना है। इसका राज्य के आर्थिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

4. मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ मिलकर इन विषयों को राष्ट्रीय विकास परिषद् एवं अन्तर्राज्यीय परिषद् के मंचों से तथा अन्य प्रकार से भी भारत सरकार के समक्ष उठाया है लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक राज्य सरकारों की इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है। हमारी संघीय व्यवस्था पर पड़ने वाले इसके दुष्परिणामों से माननीय सदस्य अवगत ही हैं।

5. राज्यों की आय के प्रमुख साधन बिक्री कर, राज्य आबकारी शुल्क, पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क तथा वाहनों, खनिज रायल्टी, सामान व यात्रियों पर लगे कर आदि ही हैं। इन करों से इतनी आय नहीं मिलती कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में तेजी से विकास करा सकें। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, साधनों की कमी के कारण इस वर्ष राजस्थान, कर्नाटक व महाराष्ट्र सरीखे राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों की वार्षिक योजनाओं के आकार में 1990-91 की योजना की तुलना में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। राजस्थान के गठन के चार दशक बाद भी यदि साक्षरता, सड़क, सिंचाई, औद्योगिक विकास आदि की दृष्टि से हमारी गिनती देश के पिछड़े राज्यों में होती है तो विकास की गति बढ़ाने के लिए हम क्या करें, यह एक चिन्तनीय प्रश्न बन जाता है। ऋण देयता, पेंशन, वेतन आदि के बढ़ते भार तथा केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों को भी विशेष दर्जे वाले राज्यों के समकक्ष सहायता नहीं

मिलने से विकास हेतु अतिरिक्त साधन कैसे जुटाये जायें इसके लिए मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करूंगा।

6. पिछले वर्षों में राज्य की प्रवृत्तियों का बड़ा विस्तार हुआ है। इससे एक ओर राज्य का आवर्तक व्यय भार बढ़ा है, दूसरी ओर विकास विनियोग हेतु साधन कम हुए हैं व जनता की सरकार पर निर्भरता बढी है। राज्य के अत्यधिक नियन्त्रण के कारण आम आदमी की परेशानियां बढ़ गई हैं। लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, बिजली व पानी के बिल जमा कराने, राज्य कोष में धनराशि जमा कराने या निकालने आदि में आने वाली परेशानियों से हम सब परिचित हैं। प्रक्रिया सम्बन्धी इन जटिल व्यवस्थाओं के सरलीकरण के लिये राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

आर्थिक समीक्षा

7. राज्य के आर्थिक विकास का एक प्रमुख मापदण्ड शुद्ध घरेलू उत्पाद अथवा राज्य आय है। राज्य की अर्थ व्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। राज्य में वर्ष 1990-91 में अनुकूल मौसम एवं पर्याप्त वर्षा के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे राज्य के घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में अखिल भारतीय स्तर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि अंकित की गई है।

8. वर्ष 1980-81 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 1990-91 के राज्य आय के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार पूर्व वर्ष 1989-90 की तुलना में 15.6 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि केवल 5.5 प्रतिशत ही अंकित की गई है। इसी प्रकार, स्थिर कीमतों पर, राज्य में प्रति व्यक्ति आय में पूर्व वर्ष की तुलना में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि केवल 3.7 प्रतिशत थी।

9. प्रचलित कीमतों पर वर्ष 1991-92 में गत वर्ष की तुलना में राज्य आय में 8.9 प्रतिशत एवं प्रति व्यक्ति आय में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

वार्षिक योजना 1992-93

10. मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष है कि वर्ष 1992-93 की योजना 1400 करोड़ रुपये की होगी। यह आकार वर्ष 1991-92 की योजना से 20.07 प्रतिशत और वर्ष 1989-90 की योजना से 76 प्रतिशत अधिक है। 3 वर्षों की किसी भी अवधि में यह वृद्धि एक रेकार्ड है। वर्ष 1990-91 में 956 करोड़ रुपये की योजना के मुकाबले 975.57 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। मुझे पूरी आशा है कि वर्ष 1991-92 में भी हम निर्धारित राशि 1166 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करेंगे।

11. वर्ष 1992-93 की योजना के तहत ऊर्जा कार्यक्रमों को 26.9 प्रतिशत, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को 22.9 प्रतिशत, सिंचाई हेतु 18 प्रतिशत, कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु 12.2 प्रतिशत एवं अन्य सेवाओं के लिए 20 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है। योजना की 61.05 प्रतिशत राशि ग्रामीण विकास पर खर्च होगी।

12. राज्य के विकास में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का काफी महत्व है क्योंकि इनसे राज्य के कुल संसाधनों में बढ़ोतरी होती है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना के पांच सालों में यह राशि 96.33 करोड़ रुपये थी, हमारे प्रयासों से अगले एक ही वर्ष में यह राशि 151.53 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

13. वर्ष 1991-92 में बजट पारित होते ही स्वीकृतियां जारी कर दी गई थी जिससे वर्ष के शुरू में ही योजना कार्य शुरू हो गये थे। इस परम्परा को कायम रखा जायेगा।

रोजगार

14. बेरोजगारी की समस्या राज्य के सामने एक चुनौती है। मुझे सदस्यों को सूचित करते हुए खुशी है कि इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने हेतु डा. व्यास की अध्यक्षता में स्थापित समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1992 में सरकार को प्रस्तुत करदी है जिसे हम सदन की राय के लिए इसी सत्र में प्रस्तुत करेंगे।

15. वर्ष 1992-93 में दौसा, बारां एवं राजसमन्द जिलों में नए रोजगार कार्यालय खोले जायेंगे। विदेशों में रोजगार दिलवाने के लिए जयपुर में, एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु अजमेर में प्रकोष्ठ स्थापित किए जा चुके हैं। जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले आशार्थियों के लिये बांसवाड़ा में एक अध्ययन एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किया गया है। विकलांग आशार्थियों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु विकलांग प्रकोष्ठ पांच और स्थानों पर बनाये गये हैं।

विद्युत्

16. सम्पूर्ण विकास के लिये विद्युत् का विशेष महत्व है। राजस्थान में दुर्भाग्यवश विद्युत् की कमी रही है जिसका मुख्य कारण कोयला, पानी, बड़ी रेल लाइन आदि की कमी है। भारत सरकार के कुछ निर्णयों से भी राज्य में विद्युत् उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। केन्द्रीय विद्युत् गृहों द्वारा उत्पादित बिजली में बंटवारे का सिद्धान्त एवं 10-5-1984 को हुए राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा के बीच समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को रेफरेन्स नहीं करना इसके दो उदाहरण हैं।

17. इन कमियों के बावजूद राजस्थान सरकार एवं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के निरन्तर प्रयासों से वर्ष 1990-91 में 1810 मेगावाट के विरुद्ध 1991-92 में 2000 मेगावाट पीक डिमाण्ड अनुमानित है। वर्ष 1990-91 में 11144 मिलियन यूनिट के मुकाबले वर्ष 1991-92 में 12313 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध होगी जो पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक है और सी.इ.ए. के अनुमानों से भी अधिक है। इस वजह से इस वर्ष कोई विद्युत् कटौती नहीं हुई। यह विद्युत् उपलब्धि भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्राप्त हुई जबकि रावत भाटा स्थित अणु विद्युत् गृह की प्रथम यूनिट इस वर्ष अधिकतर बंद रही है जिसकी वजह से राज्य को इस केन्द्रीय विद्युत् गृह से लगभग 450 मिलियन यूनिट बिजली कम उपलब्ध होगी।

18. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं की स्वीकृति से सम्बन्धित हमारे प्रयासों एवं सफलताओं का जिक्र किया गया है। बरसिंगसर परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में कई बाधाएं उत्पन्न हुई। राज्य सरकार के सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप भूमि अवाप्ति की कार्यवाही तत्परता से पूरी हो सकी और अब परियोजना पर प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू हो गई है। मैंने प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया है कि वे शीघ्र इस परियोजना का शिलान्यास करें। सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना पर मण्डल ने कार्य शुरू कर दिया है। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप परियोजना को भारत सरकार ने माह अक्टूबर, 1991 में विश्व बैंक को वित्तीय सहायता के लिये भेज दिया है। हाल ही में विश्व बैंक के वाइस प्रेसीडेन्ट से मेरी बात-चीत भी हुई है।

19. पलाना क्षेत्र को भारत सरकार एवं नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से हुए 1987 के मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग से निकलवाने के लिये हमने विशेष प्रयास किये और इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई है। अब हमने पलाना में 120 मेगावाट ताप बिजली घर स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। मैसर्स

सेन्चुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई, जिसे अप्रैल, 1988 में लाइसेंस दिया गया था और जिससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, उससे हमारे निरन्तर तकाजों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट नवम्बर, 1991 में प्राप्त हुई । इस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को भेज दिया है। राजस्थान अणु विद्युत् परियोजना की यूनिट-तृतीय और चतुर्थ का कार्य भी प्रगति पर है और हमें आशा है कि इन दोनों यूनिटों का कार्य आठवीं योजना में पूरा कर लिया जायेगा ।

20. कोटा ताप परियोजना स्टेज-तृतीय का कार्य विद्युत् मण्डल द्वारा तेज गति से किया जा रहा है और मुझे आशा है कि इसे निश्चित समय से पूर्व कमीशन कर दिया जायेगा ।

21. कोटा ताप बिजली घर स्टेज प्रथम व द्वितीय में हुई विद्युत् उत्पादन की प्रगति से माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है । वर्ष 1990-91 में इस बिजलीघर का प्लान्ट लोड फैक्टर केवल 40 प्रतिशत था जो वर्ष 1991-92 में 63 प्रतिशत से अधिक अनुमानित है। अगर हमें पूरा कोयला मिलता रहा तो हमें विश्वास है कि वर्ष 1992-93 में प्लान्ट लोड फैक्टर 70 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा । जब यह बिजली घर स्वीकृत हुआ था तो हमें कोयला नजदीक की कोरिया रेवा कोयला खानों से दिया गया था । पिछले 5-6 वर्षों में इसमें तब्दीली हो गई और अधिकतर कोयला बिहार की कोयला खानों से मिलने लगा जिसके कारण मण्डल को घटिया कोयला मिला तथा कोयले की ढुलाई पर अधिक राशि भी वहन करनी पड़ी । हमारे निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप 1991 में वापस तब्दीली आई है जिससे नजदीक की कोयला खानों से अधिक कोयला मिलना शुरू हो गया है ।

22. इस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य, 700 गांवों एवं 25,000 कुओं के विद्युतीकरण कार्यक्रम की तुलना में माह फरवरी, 1992 तक लगभग 700 गांवों एवं 18,300 कुओं को विद्युतीकृत किया जा चुका है । शेष लक्ष्य इसी माह में पूरे कर लिये जायेंगे । वर्ष 1992-93 में लक्ष्य 750 गांवों एवं 25,000 कुओं के विद्युतीकरण का है । वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना हेतु सरकार ने विद्युत् मण्डल के लिए 313.31 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था जो कि बढ़ाकर वर्ष 1992-93 में 372.91 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसमें कोटा परियोजना स्टेज-III के लिए 80 करोड़ रुपये और सूरतगढ़ परियोजना के लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है । ट्रान्समीशन कार्यक्रम के तहत 945 किलोमीटर 220 के.वी. एवं 132 के.वी. लाइनों तथा कई सब-स्टेशनों पर 547 एम.वी.ए. से अधिक ट्रान्सफार्मर कैपेसिटी क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है ।

23. मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए खुशी है कि राज्य में विद्युत् की कमी को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति या लाइसेंसी द्वारा कैप्टिव पावर प्लान्ट लगाने के प्रार्थना-पत्रों पर मण्डल उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएगा और प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों को 15 दिन में ही स्वीकृत कर देगा ।

24. माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल हमारा सबसे बड़ा उपक्रम है जिसका कार्यक्षेत्र व्यापक सार्वजनिक हित में है परन्तु मण्डल से अपेक्षा की जाती है कि वह वाणिज्यिक आधार पर कार्य करे । इन दोनों बातों में कुछ हद तक विरोधाभास है । 31-3-1991 तक मण्डल का कुल संचित घाटा 744.94 करोड़ रुपये था । विद्युत् मण्डल को बिजली की लागत करीब 114 पैसे प्रति यूनिट पड़ती है । इसके विपरीत कृषि क्षेत्र में 77 पैसे प्रति यूनिट, घरेलू क्षेत्र में 49 पैसे प्रति यूनिट एवं सार्वजनिक प्रकाश पर 44 पैसे प्रति यूनिट का घाटा मण्डल को उठाना पड़ता है । इसके अतिरिक्त कृषि के लिए कुओं के कनेक्शनों में बिजली पहुंचाने के लिए होने वाला समस्त खर्चा मण्डल को वहन

करना पड़ता है। विद्युत् हेतु बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए भी मण्डल को अतिरिक्त ऊर्जा आस-पास के प्रदेशों से तथा केन्द्रीय उत्पादन स्रोतों से महंगी दरों पर खरीदनी पड़ती है।

25. उपरोक्त घाटे को कम करने की दृष्टि से और मण्डल की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु वर्ष 1991-92 में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। मण्डल के 50 प्रतिशत ऋण, 613.09 करोड़ रुपये को अंशदान पूंजी में बदला गया है। राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जिसने इतनी बड़ी रकम के ऋण को अंशदान पूंजी में परिवर्तित किया है। इसके अतिरिक्त ऋण के ब्याज के पेटे सरकार ने 148.54 करोड़ रुपये माफ किए हैं।

26. राज्य की जनता, किसानों एवं उद्योगों में बढ़ती हुई बिजली की मांग तथा राज्य एवं मण्डल के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हमारे पास तीन महत्वपूर्ण विकल्प होंगे। एक तो यह कि हम कुछ हद तक विद्युत् उत्पादन का निजीकरण करें। दूसरा यह है कि हम विदेशी स्रोतों से सहायता प्राप्त करें और तीसरा विकल्प यह है कि मण्डल अपने आन्तरिक स्रोतों से संसाधन विकसित करे। भारत सरकार का भी राज्य सरकार एवं विद्युत् मण्डल पर निरन्तर दबाव आ रहा है कि मण्डल उत्पादन की लागत पर पूरी वसूली करे ताकि मण्डल 3 प्रतिशत रिटर्न अपने फिक्स्ड असेट्स पर प्राप्त कर सके। यह सब महत्वपूर्ण मसले हैं और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इन पर गम्भीरता से विचार कर अपने सुझावों से हमें लाभान्वित करें।

ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत

27. एक जनवरी, 1992 को प्रधानमंत्री जी ने अपने बाड़मेर प्रवास के दौरान राजस्थान में सौर ऊर्जा की उपलब्धि और उसके उपभोग पर जोर दिया था। उन्होंने इस बात को दोहराया था कि जनता ने और देश में अभी तक इस साधन का दोहन नहीं किया है। इस विषय पर मैंने उन्हें पत्र भी लिखा है और व्यक्तिगत रूप से सहायता हेतु बातचीत भी की है।

सिंचाई

28. सिंचाई योजनाओं हेतु वर्ष 1991-92 में 162.91 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें 48.30 करोड़ रुपये इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, 23.25 करोड़ रुपये माही बजाज सागर परियोजना, 10 करोड़ रुपये बीसलपुर परियोजना तथा 81.36 करोड़ रुपये अन्य सिंचाई योजनाओं हेतु रखे गये हैं।

29. वर्ष 1991-92 में जाखम, बीसलपुर, सिद्धमुख एवं नोहर बृहद् परियोजनाओं तथा 89 लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। राजस्थान के बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विश्व बैंक से 58.45 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने का समझौता इस वर्ष में हुआ जिससे सात प्रमुख बांधों का चयन, सुरक्षा उपायों के कार्य करवाने हेतु, कर लिया गया है तथा अन्य 124 बांधों के सुरक्षा उपायों सम्बन्धी अन्वेषण किये जाने का प्रावधान है। सिद्धमुख एवं नोहर परियोजनाओं के लिए यूरोपियन आर्थिक समुदाय से लगभग 144 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने के प्रयास निर्णायक स्थिति पर पहुंच गये हैं। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 197 करोड़ रुपये की अनुमानित है तथा इनसे 47285 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

30. भूपृष्ठीय जल परियोजनाओं के लिये वर्ष 1992-93 में 186.39 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें 52.69 करोड़ रुपये इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, 25 करोड़ रुपये माही बजाज सागर परियोजना, 11 करोड़ रुपये बीसलपुर परियोजना के (सिंचाई विभाग के हिस्से के), 97.70 करोड़ रुपये सिंचाई

विभाग हेतु रखे गये हैं। इस प्रावधान से 57455 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। बीसलपुर परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत मुख्य बांध को क्रेस्ट लेवल तक जून, 1992 तक लाया जाना प्रस्तावित है ताकि वर्ष 1992 की वर्षा का भराव इसमें सम्भव हो सके।

31. आने वाले समय में सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को हाथ में लेने का निर्णय लिया गया है। ये लिफ्ट योजनाएं सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कर कृषकों की समितियों को सौंप दी जावेंगी तथा उन योजनाओं को चलाने एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भी कृषकों की ही रहेगी। सिंचाई विभाग के इस निर्णय से रखरखाव में सुधार आयेगा तथा लिफ्ट योजनाओं की क्रियान्विति भी अन्य योजनाओं के मुकाबले तेज गति से हो सकेगी।

32. प्रदेश के आधारभूत विकास में सिंचाई महत्वपूर्ण आधार है। सिंचाई योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्ष 1990-91 तक करीब 1800 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इन कार्यों से सिंचाई क्षमता करीब 23 लाख हेक्टेयर सृजित हुई है। आज हमारे सामने अब तक निर्मित सिंचाई कार्यों के समुचित रखरखाव की भारी समस्या है। रखरखाव पर लगभग 6900 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष व्यय आता है। इसके मुकाबले सिंचाई शुल्क से आय मात्र 75 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की है। पर्याप्त साधनों के अभाव में समुचित रखरखाव होना सम्भव नहीं है और इस कारण कृषकों को सिंचाई क्षमता का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इस संदर्भ में माननीय सदस्यों को विचार करना होगा कि किस प्रकार कृषकों का अधिक सहयोग प्राप्त कर रखरखाव की उचित व्यवस्था की जावे।

सिंचित क्षेत्र विकास

33. सिंचित क्षेत्र विकास हेतु वर्ष 1991-92 में 51.10 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वर्ष 1992-93 में इस हेतु 62.60 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

34. सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के स्टेज प्रथम एवं द्वितीय में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण, 120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा 20 डिग्गियों का निर्माण एवं 35 डिग्गियों के मरम्मत का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों के साथ-साथ सिंचित क्षेत्र में आवंटियों को बसाने के लिये प्रोत्साहित करने के कार्य भी बृहत् स्तर पर किये जा रहे हैं। वर्ष 1992-93 में भी ओ. ई. सी. एफ. (जापान) की सहायता के अन्तर्गत 7299 रनिंग किलोमीटर में नहरों व सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण तथा 1207 हेक्टेयर में ब्लाक प्लांटेशन, 475 हेक्टेयर में ग्रामीण जलाऊ लकड़ी, वृक्षारोपण एवं 1800 हेक्टेयर में चरागाह हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रस्तावित है।

35. चम्बल क्षेत्र विकास परियोजना में 377.75 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है तथा केनिडियन इन्टरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी की सहायता से प्रायोगिक तौर पर लिये गये कार्यों के परिणाम आने पर अगले वर्ष से भूमिगत जल निकास की नालियों का नियमित कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

36. माही परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु वर्ष 1992-93 में 87.50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

कृषि

37. प्रदेश में इस वर्ष 58 सेंटीमीटर की सामान्य वर्षा की तुलना में 47 सेंटीमीटर वर्षा ही हुई जिसके फलस्वरूप खरीफ

के जोत क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत तथा रबी में 10 प्रतिशत कमी हुई । जैसाकि राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया था, इस वर्ष प्रदेश में कम वर्षा के बावजूद तिलहन का 28 लाख टन का कीतिमान उत्पादन होगा जो पिछले वर्ष के उत्पादन से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है ।

38. भारत सरकार द्वारा रासायनिक खाद के मूल्य बढ़ाने तथा वर्षा की कमी के बावजूद इस वर्ष उर्वरक की 9.5 लाख टन की रेकार्ड खपत हुई है जबकि पिछले वर्ष 8 लाख टन की खपत हुई थी। खाद्यान्न का इस वर्ष अनुमानित उत्पादन 82 लाख टन होगा।

39. कृषि विकास के महत्व को देखते हुए बजट में पिछले वर्ष के प्रावधान 27.76 करोड़ रुपये के स्थान पर अगले वर्ष 87.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

40. किसानों को अपने गांव में ही आसानी से प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज का 10 क्विंटल का स्टॉक एक समय रखने वाले व्यापारी को लाइसेंस लेने के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया जायेगा। खाद के बारे में ऐसा निर्णय सरकार ने पहले ही ले लिया है। इसके अतिरिक्त, नाममात्र की फीस पर किसानों को उनके द्वारा खरीदे बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयों की राजकीय प्रयोगशालाओं से जांच कराने की सुविधा दी जायेगी।

41. कृषि के उत्पादन को व्यापक करने के लिये जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू व जैसलमेर में तुम्बा की खेती, गंगानगर, बीकानेर, झालावाड़ व बांसवाड़ा में सूरजमुखी की खेती, उदयपुर व डूंगरपुर में कुसुम की खेती तथा पाली, जालोर, अजमेर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमन्द, सीकर व हनुमानगढ़ में एरन्डी को खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये जायेंगे। सोयाबीन की

खेती को सवाईमाधोपुर, उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा व भीलवाड़ा जिलों में बढ़ावा दिया जायेगा। इसी प्रकार बून्दी, कोटा, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों में राजमा की खेती तथा उदयपुर व कोटा संभागों में काबुली चने की खेती को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

42. फल विकास हेतु विशेष प्रयत्न किये गये हैं। 4700 हेक्टेयर में नये बगीचे लगाये गये तथा 24 लाख फलों के पौधों का वितरण किया गया। अगले वर्ष लगभग 26 लाख फलों के पौधे किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मरुस्थल विकास, सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय विकास, जवाहर रोजगार योजना, अनुसूचित जाति व जनजाति विकास तथा समग्र कृषि विकास के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि को मिलाकर समेकित रूप से फल विकास का एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा ताकि किसानों को फलों की खेती द्वारा अधिक लाभ मिल सके।

43. उपलब्ध पानी के कुशलतम उपयोग के लिये फव्वारा सिंचाई पद्धति व कुओं पर नालियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों की मांग पर आधारित कृषि विकास हो, इस उद्देश्य से स्वैच्छिक आधार पर किसान मण्डलों का गठन किया जायेगा। इन मण्डलों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जायेगी।

सहकारिता

44. सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कोटा में 8.80 करोड़ रुपये की तथा फतहनगर में 10 करोड़ रुपये की लागत की सरसों परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। कपास जिनिंग एवं कताई के कार्य का विस्तार करने के लिये अगले वर्ष सहकारी क्षेत्र में काटन जिनिंग एवं स्पिनिंग सहकारी फेडरेशन का

गठन किया जायेगा। व्यवस्था में सुधार कर राजफेड, तिलम संघ, कपास कताई मिलों व उपभोक्ता संघ को विशेष लाभ में चलाया गया है। इस वर्ष 96 करोड़ रुपये के फसली ऋण खरीफ में किसानों को उपलब्ध कराये गये हैं। रबी की फसल के लिये 27 करोड़ रुपये का ऋण जनवरी, 1992 तक सहकारी संस्थाओं द्वारा दिया गया है। सहकारी संस्थाओं के धन के गबन व दुरुपयोग के निर्णीत मामलों में विशेष अभियान चला कर 120 लाख रुपये की वसूली पिछले 5 महीनों में की गई। हिस्सा पूंजी बढ़ाकर शीर्ष संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास किया गया है। अगले वर्ष सहकारी संस्थाओं के व्यावसायिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

पशुपालन

45. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में उपलब्ध पशु सम्पदा के विकास, संवर्धन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

46. पशु स्वास्थ्य सुरक्षा के अलावा पशु संवर्धन की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। गोपाल योजना का प्रारम्भ दक्षिणी पूर्वी जिलों में किया गया है। इन जिलों में 280 गोपाल कार्यरत हैं जिनको बढ़ाकर 400 किया जावेगा। अब लगभग आठ लाख पशुओं को प्रजनन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। एकीकृत ग्रामीण पशु विकास योजना, जो 20 जिलों में 780 केन्द्रों के माध्यम से शुरू की गई है, के तहत एक पशुधन सहायक, दो हजार पशुओं को प्रजनन सुविधा उपलब्ध करायेगा।

47. भैंस विकास कार्यक्रम के तहत विशुद्ध मुर्रा भैंसों के उच्च नरों को कुम्हेर फार्म पर पाला जावेगा। कुक्कुट पालन के तहत जयपुर पोल्ट्री फार्म पर "केज सिस्टम" के डिमोन्सट्रेशन के लिए एक नया सेंटर बनाया जाएगा। अजमेर के कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। बकरी विकास कार्यक्रम के तहत 60 लाख रुपये की विदेशी सहायता वर्ष 1992-93 के दौरान उपलब्ध होगी।

48. 67 पशु औषधालयों को चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जावेगा। सीकर जिले में पोलिक्लिनिक एवं कुचामन सिटी और चित्तौड़गढ़ में रोग निदान प्रयोगशालाएं स्थापित की जावेंगी। छः उप खण्डीय जिला चल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जावेंगी। पशु नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण का एक नया कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

भेड़ व ऊन

49. भेड़ पालन के कार्यक्रम, ग्रामीण इलाकों में भेड़ पालकों एवं अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

50. भेड़ स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के तहत आधुनिक तकनीकी के द्वारा भेड़पालन का विकास किया जाता है एवं भेड़ पालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भेड़ों की स्वास्थ्य रक्षा, रोगों की रोकथाम, दवा पिलाने एवं टीके लगाने आदि का कार्य निःशुल्क किया जाता है। विशेष भेड़ प्रजनन कार्यक्रम 12 जिलों में चलाया जा रहा है जिसके तहत उन्नत नस्ल की भेड़ें उत्पन्न कराई जाती हैं जिनमें ऊन की मात्रा एवं किस्म दोनों ही अच्छी होती हैं। उन्नत किस्म के मेंढ़े भेड़ पालकों को प्रजनन हेतु वितरित किये जाते हैं।

मत्स्य

51. मत्स्य पालन का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब किसानों को रोजगार दिलाना है। राज्य में मत्स्य पालन हेतु लगभग 3 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। इस क्षेत्र में मत्स्य एवं बीज उत्पादन आदि कार्यक्रम चलाये जाते हैं। मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के

माध्यम से मत्स्य पालन तकनीक में प्रशिक्षण एवं जल क्षेत्र आवंटन कर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

52. वर्ष 1992-93 के लिए 10,000 मैट्रिक टन मत्स्य एवं 1800 लाख मत्स्य बीज के उत्पादन का लक्ष्य है।

53. पाली एवं श्रीगंगानगर में नए मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना के प्रस्ताव हैं।

54. निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए हेचरी स्थापना की योजना वर्ष 1991-92 में स्वीकृत की गयी है जिसके तहत हेचरी यूनिट एवं फार्म की स्थापना पर कुल पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत अथवा एक लाख रुपये, अनुदान के रूप में दिया जावेगा। बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जावेगी। जनजाति के व्यक्तियों हेतु यह अनुदान राशि 50 प्रतिशत या 2 लाख रुपये रखी गई है।

वन

55. वन विकास के लिए वर्ष 1991-92 में 27.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों के विरुद्ध 1992-93 में 38.58 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इस समय राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनायें बाहरी सहायता से चलाई जा रही हैं।

56. ओ.ई.सी.एफ. जापान की सहायता से चलाई जा रही अरावली परियोजना वर्ष 1992-93 में राज्य के 10 जिलों में क्रियान्वित की जावेगी। वर्ष 1992-93 में 14.66 करोड़ रुपये व्यय किये जावेंगे।

57. विश्व बैंक की सहायता से चलायी जा रही राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना के तहत 1991-92 के संशोधित प्रावधान 17.35 करोड़ रुपये के विरुद्ध वर्ष 1992-93 में 18 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

58. वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए 1992-93 में 200 ग्रामस्तरीय वन एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया जावेगा। प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक गांव में ईंधन एवं चारे के लिए ग्राम्य वन लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में चलाये जा रहे विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत श्रमिकों को 40 लाख खाद्यान्न यूनिट्स उपलब्ध करवाये जायेंगे।

59. तेन्दू पत्ता संग्रहण कार्य में लगे आदिवासी एवं ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक सहायता के लिए मानक बोरे की दर गत वर्ष 100 रुपये से बढ़ा कर 200 रुपये की गई थी जिसे और बढ़ा कर वर्ष 1992-93 से 220 रुपये करने का प्रस्ताव है।

विशिष्ट योजनाएं

60. ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व बेरोजगार लोगों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के उत्थान के लिए रोजगार योजनाएं एवं क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए कई योजनाएं राज्य में चलाई जा रही हैं।

61. मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना में राजस्थान देश में प्रथम रहा है। वर्ष 1991-92 में संशोधित आवंटन 29.35 करोड़ रुपये के विरुद्ध वर्ष 1992-93 हेतु आयोजना मद से 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस योजना के तहत 409.09 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया जावेगा। इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 1992-93 में 15000 आवास गृहों का निर्माण किया जाएगा। जीवन धारा योजना में 15000 कुओं के निर्माण का लक्ष्य है।

62. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 1992-93 के लिए 20.27 करोड़ रुपये राज्य आयोजना मद में प्रावहित

है जिससे 1,10,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। मरु विकास योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चलाई जाती है। वर्ष 1992-93 में इस हेतु 38 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है। सूखा सम्भावित क्षेत्र में वर्ष 1992-93 में केन्द्र अंश सहित 8.05 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

63. मेसित्र कार्यक्रम वर्ष 1991-92 से पूर्णतः राज्य मद को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में 6 करोड़ रुपये का प्रावधान एवं 11,275 कृषकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

64. अपना गांव अपना काम कार्यक्रम जनवरी, 1991 में प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1992-93 में इस कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य आयोजना मद से प्रस्तावित है जिससे 50 करोड़ रुपये के कार्य करवाए जायेंगे। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अलवर एवं भरतपुर जिलों में वर्ष 1992-93 के लिये 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

65. कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं विकास हेतु केवल स्वैच्छिक संस्थाओं को ही योगदान देती हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कपार्ट जैसी संस्था का अभाव राज्य स्तर पर महसूस हो रहा है। अतः सरकार ने राज्य स्तर पर अरावली नाम से एक स्वैच्छिक संस्था के गठन का निर्णय किया है। सरकार इस संस्था के क्रियाकलापों में निरन्तर सहयोग देगी। इस संस्था के बनने से प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से होने वाले विकास को गति मिलेगी।

विकेन्द्रीकृत आयोजना

66. सन्तुलित विकास के लिए आवश्यक है कि योजना में स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग हो एवं स्थानीय लोग, योजना की प्रक्रिया में भागीदार बनें।

67. निर्बन्ध राशि कार्यक्रम के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के जनउपयोगी कार्य के लिये वर्ष 1992-93 के लिये 1500 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है। तीस जिले तीस काम कार्यक्रम के तहत वर्ष 1991-92 की भांति वर्ष 1992-93 के लिये भी 20 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

68. विधायकगण अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्णय वे स्वयं लें इस हेतु निर्बन्ध राशि कार्यक्रम व तीस जिले तीस काम योजना के अन्तर्गत मिलाकर दस लाख रुपये के काम अपने क्षेत्र में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से कराने हेतु उन्हें अधिकृत किया जायेगा।

अकाल सहायता

69. नवें वित्त आयोग द्वारा भारत सरकार से अकाल सहायता हेतु प्राप्त होने वाली राशि में परिवर्तन किया गया है। आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1990-95 के पांच वर्षों की अवधि में अकाल राहत कार्यों के लिए कुल 465 करोड़ रुपया ही भारत सरकार से मिलेगा जबकि संवत् 2044 के अकाल में 960 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। चूंकि राज्य स्तर पर कर बढ़ाकर राहत कार्यों के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने का क्षेत्र सीमित है, अतः भारत सरकार के उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप अकाल राहत की व्यवस्था में हमें परिवर्तन करना होगा। योजना के अन्तर्गत चल रहे विभागीय कार्यों तथा अकाल राहत कार्यों के साथ संतुलन

बिठाकर अभावग्रस्त क्षेत्रों में विशेष रोजगार उपलब्ध कराना होगा। अभाव स्थिति की अधिक चुभन वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों व जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राहत कार्य खोले गये हैं। खादी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार देने हेतु 15.79 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। पेयजल व पशु संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। आगे आने वाले महीनों में इन प्रयासों को और भी तेज किया जायेगा।

शिक्षा

70. माननीय सदस्यगण जानते हैं कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रान्तों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। सीमित साधनों के बावजूद भी इस क्षेत्र में राजस्व आयोजना बजट का लगभग 24 प्रतिशत व्यय किया जाता है।

71. अब हमें बालिकाओं की शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा। प्रारम्भिक शिक्षा का एक स्वतन्त्र निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जो शीघ्र ही कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

72. वर्ष 1992-93 में 1000 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 80 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों एवं 25 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जावेगा। 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 50 विद्यालय बालिकाओं के लिए होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में नये नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों में कम से कम पचास प्रतिशत महिलाएं होंगी। इन प्रस्तावों के लिए कुल 765 लाख रुपये का खर्च अनुमानित है।

73. अधिकांश निर्धन माता-पिता चाहते हुए भी अपनी लड़कियों को पांचवीं कक्षा के बाद विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। अतः राज्य में दत्तक पालक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके तहत स्वयंसेवी संस्थाओं व सम्पन्न व्यक्तियों को छठी, सातवीं एवं आठवीं कक्षा की निर्धन बालिकाओं को 25, 30 एवं 40 रुपये प्रतिमाह की सहायता देने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

74. अनुसूचित जाति/जनजाति की ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षिक क्षमताओं के विकास के लिए हर जिले में दसवीं कक्षा की 10 योग्यतम छात्राओं को 200 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जावेगी। इस योजना पर 21 लाख रुपये के वार्षिक खर्चे का अनुमान है।

75. बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को 90 प्रतिशत से कम अनुदान मिल रहा है उनकी अनुदान राशि शिक्षा सत्र 1992-93 से 10 प्रतिशत बढ़ाई जायेगी जिससे गैर योजनामद पर 40 लाख रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

76. "लोक जुम्बिश" की महती योजना के अन्तर्गत आगामी दस वर्ष में लगभग 600 करोड़ रुपये व्यय होंगे। वर्ष 1992-93 में राज्य योजना में 1.25 करोड़ रुपये का प्रावधान है। केन्द्र सरकार तथा विदेशी सहायता से कुल 7.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे प्रारम्भिक शिक्षा विकास, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, शाला भवनों के निर्माण एवं अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र खोलना सम्भव होगा।

77. वर्ष 1991-92 में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत चयनित भरतपुर, सीकर एवं डूंगरपुर जिलों में पाठ्य सामग्री व वातावरण तैयार करने एवं प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में साक्षरता के साथ-साथ स्वास्थ्य, पोषाहार, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि के समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

महाविद्यालय शिक्षा

78. महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के उद्देश्य से तीन महिला महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। महाविद्यालयों में स्वरोजगार के 10 विषय आरम्भ किए जायेंगे। जनजाति क्षेत्र में स्वरोजगार के उद्देश्य से बी.फार्मा, कम्प्यूटर एप्लिकेशन, इलेक्ट्रोनिक एण्ड इन्स्ट्रूमेंटेशन, उद्यम-विकास इत्यादि पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जावेंगे। टैक्सटाईल केमिस्ट्री एवं कम्प्यूटर विज्ञान में बी. टेक कोर्स आरम्भ किए जायेंगे।

79. मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि जोधपुर संभाग के नागरिकों की मांग के अनुरूप स्वतन्त्रता सेनानी लोकनायक श्री जयनारायण व्यास की स्मृति में जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम अब "जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर", रख दिया गया है।

तकनीकी शिक्षा

80. औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1992-93 में आयोजना मद के अन्तर्गत 370.78 लाख रुपये का प्रावधान है।

81. जयपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, डूंगरपुर एवं नागौर के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में 10 नये व्यावसायिक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। 12 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने तथा विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 4 नये व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोधपुर व कोटा में (प्रत्येक में दो-दो) खोलना प्रस्तावित है।

82. वर्ष 1992-93 में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन पाठ्यक्रम जयपुर में मोटर साईकिल व स्कूटर की मरम्मत हेतु खोलना प्रस्तावित है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कोटा में खोले गये बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में वर्ष 1992-93 में केमीकल ट्रेड ग्रुप तथा टेक्सटाइल ट्रेड ग्रुप ट्रेनिंग शुरू करने का प्रस्ताव है।

83. मुझे यह कहते हुए खुशी है कि तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजना का आकार इस वर्ष 8 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1992-93 में 12 करोड़ रुपये, अर्थात् डेढ़ गुना होगा।

84. राज्य में एक नया पोलीटेक्निक कालेज आदिवासी क्षेत्र में खोलने का प्रस्ताव है।

85. अजमेर पोलीटेक्निक में इन्स्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एवं जयपुर महिला पोलीटेक्निक में ब्यूटी कल्चर के नये विषय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। कोटा पोलीटेक्निक में दूर शिक्षा एवं सतत शिक्षण केन्द्र स्थापित किया जावेगा एवं कम्प्यूटर प्रणाली पर एडवान्स डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जावेगा। जयपुर एवं बीकानेर में उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा में समन्वय के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। खेतान पोलीटेक्निक, जयपुर में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किया जावेगा।

86. 25 वर्ष पूर्व स्थापित किये गये सात पुराने पोलीटेकनिकों का आधुनिकीकरण करने एवं पांचवीं, छठी, सातवीं योजना अवधि में खोले गए 10 पोलीटेकनिकों के सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है। महिला पोलीटेक्निक, जो इस वर्ष जोधपुर में खोल दिया गया है, उसको और सुदृढ़ किया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

87. वर्ष 1991-92 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर मेडीकल कालेजों एवं अस्पतालों में रोगियों के लिये

सुविधाओं में वृद्धि की गई है । ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा प्रदान करने और उसमें सुधार लाने के लिये वर्ष 1992-93 में 40 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 15 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 5 शहरी औषधालय खोले जावेंगे । मेडीकल कालेज, जोधपुर में सी. टी. स्केन के लिये एक करोड़ रुपये का प्रावधान है । 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी वाहन की व्यवस्था की जावेगी । राज्य के कई स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में शय्याओं की संख्या बढ़ाई जावेगी ।

88. राज्य सरकार वर्ष 2000 तक "सबके लिये स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध है । मेरा मानना है कि सरकार के इन प्रयासों में निजी क्षेत्र एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी भागीदार बनाया जाना चाहिये । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि निजी उद्यमियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को अस्पताल, नर्सिंग होम, चिकित्सा क्लिनिक इत्यादि स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएगी । मार्जिन मनी का भी कुछ भाग ऋण के रूप में उपलब्ध होगा । स्थानीय निकाय, राजस्व विभाग एवं पंचायती राज संस्थाएं रियायती दरों पर इन संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराएंगी ।

89. राज्य में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित पैरा मेडीकल एवं नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं है । मेरा प्रस्ताव है कि नर्सिंग एवं पैरा मेडीकल स्टाफ की प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने में निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जावे एवं उन्हें वित्तीय सहायता दी जावे जिसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।

90. सीकर में श्री कल्याण आरोग्य सदन द्वारा निजी क्षेत्र में मेडीकल कालेज खोले जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने सिद्धान्ततः मान लिया है ।

परिवार कल्याण

91. "परिवार कल्याण" जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक "अहम चिन्ता का मुद्दा है" जिसे मैंने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में भी उठाया था । मेरा स्पष्ट मत है कि जनसंख्या नियन्त्रण जैसे विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक पार्टियों एवं धर्मों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जावे । मेरी बात मानकर राष्ट्रीय विकास परिषद् की गत बैठक के निर्णयानुसार जनसंख्या पर एक उप समिति का गठन किया गया है ।

92. हमारा उद्देश्य छोटे परिवार अर्थात् दो बच्चों तक के परिवार की धारणा को लोकप्रिय बनाना है । मेरा प्रस्ताव है कि जिस परिवार में माता या पिता की आयु 35 वर्ष से कम है एवं एक या दो बच्चों के बाद माता या पिता किसी ने भी परिवार कल्याण का आपरेशन करवाया है तो सरकार की ओर से परिवार की लड़की/लड़कियों के कल्याण के लिये एक एक हजार रुपये का फिक्स्ड डिपोजिट का खाता खुलवाया जावेगा । यह डिपोजिट परिवार नियोजन बॉण्ड कहलाएगा । यह राशि इन लड़कियों के खातों में उनकी 20 वर्ष की आयु तक जमा रहेगी जिसके बाद वे स्वयं के लिए इसका उपयोग कर सकेंगी । इस योजना के लिये दो करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।

समाज कल्याण

93. अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा निरन्तर कार्य किये जा रहे हैं ।

94. अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के चरण बद्ध विकास के लिये बाल्मीकि योजना इस वर्ष 100 और नए गांवों में शुरू की

जायेगी जिसके लिए 25 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु शेष 10 जिलों में भी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे जिससे यह सुविधा अब सभी जिलों में उपलब्ध हो जाएगी। इस हेतु 30 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च प्रस्तावित है।

95. वर्ष 1992-93 में 16 नये अनुसूचित जाति/जन जाति के निःशुल्क छात्रावास खोलना प्रस्तावित है। छात्रावासों में रह रहे छात्र/छात्राओं का मैस भत्ता नवम्बर, 1991 में 170 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

96. वर्तमान में राज्य में 40 अनाथाश्रम 27 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। अनाथ बच्चों के भोजन, वस्त्र व शिक्षा के लिए 110 रुपये प्रतिमाह का निर्वाह भत्ता कम है जिसे वर्ष 1992-93 से बढ़ाकर 250 रुपये किया जावेगा। इससे 2025 अनाथ बच्चों को लाभ मिलेगा।

97. मूक, बधिर, नेत्रहीन तथा मानसिक रूप से विमंदित बिकलांगों की सहायता में लगी 17 स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान में एक रूपता लाने के लिये अनुदान राशि जो अभी 95 रुपये से 125 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति है को बढ़ाकर 250 रुपये किया जावेगा। ऐसे विकलांगों के कल्याण के लिये राज्य सरकार सामान्यत: 3 वर्ष तक किसी स्वयंसेवी संस्था के चलने के बाद ही 90 प्रतिशत की दर से अनुदान देती है। अब संस्था के एक वर्ष चलने के बाद ही 90 प्रतिशत अनुदान एवं तीन वर्ष बाद विशेष निरीक्षण के बाद 100 प्रतिशत अनुदान का प्रस्ताव है।

98. इन कार्यक्रमों के अलावा विकलांगों के त्वरित विकास के लिए वर्ष 1992-93 में एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव है।

जनजाति क्षेत्र विकास

99. जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनेक कार्यक्रम जैसे फल विकास, लघु सिचाई, शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग, नारू उन्मूलन आदि चलाए जा रहे हैं। इनके द्वारा जनवरी, 1992 तक 42,199 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

100. वर्ष 1992-93 में माडा कार्यक्रम के लिए 469 लाख रुपये, बिखरी आबादी कार्यक्रम के तहत 105 लाख रुपये एवं सहरिया योजना के लिए 34 लाख रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं।

101. क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 1992-93 में डूंगरपुर व प्रतापगढ़ (चित्तौडगढ़) में कन्या छात्रावास खोले जावेंगे।

102. जनजातियों की आजीविका वृद्धि तथा मत्स्य गतिविधियों को विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 1992-93 से 'राजस' संघ द्वारा सरकार को देने वाली रायल्टी में छूट देने का प्रस्ताव है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा लघु वन उपजों के संग्रहण से राज्य सरकार को जो रायल्टी मिलती है उसे भी समाप्त करना प्रस्तावित है।

103. सीडा की सहायता से डूंगरपुर में 28 करोड़ रुपये की एकीकृत पड़ती भूमि विकास योजना अक्टूबर, 91 से प्रारम्भ कर दी गई है।

महिला एवं बाल विकास

104. महिला विकास कार्यक्रम जो 11 जिलों में चल रहा है, तीन और जिलों में चलाया जावेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला

एवं बच्चों के विकास का कार्यक्रम (ड्वाकरा) जो अभी 14 जिलों में चल रहा है तीन और नये जिलों में चलाया जावेगा। समेकित बाल विकास सेवाओं का कार्यक्रम अभी 119 पंचायत समितियों व 11 शहरी ब्लाक्स में चल रहा है। वर्ष 1992-93 में इसमें विस्तार प्रस्तावित है। नये जिलों/परियोजना क्षेत्रों का चयन इस प्रकार किया जावेगा कि उपरोक्त तीनों कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित हो सके।

105. अभी 15,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों में केवल 800 केन्द्र विभागीय भवनों में हैं। 1992-93 में 1200 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का लक्ष्य है जिसके लिये 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रस्तावित है। यह राशि 1/3 के अनुपात में जिलों को इस शर्त पर दी जायेगी कि जिला प्रशासन अपने मौजूदा कार्यक्रमों में से शेष 2/3 राशि उपलब्ध करायें। हमें आशा है कि अब आंगनवाड़ी केन्द्र महिलाओं व बच्चों के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में समन्वय का केन्द्र बिन्दु बन सकेंगे।

पेयजल

106. प्रदेश में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य योजना के तहत वर्ष 1992-93 में 104.37 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है जिसमें से 52.80 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र व 51.57 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र हेतु हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के तहत 58.40 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है।

107. जोधपुर लिफ्ट योजना से शीघ्र पानी पहुंचाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। मानसी वाकल जल प्रदाय परियोजना को गति देने के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बीकानेर के सूरसागर की गन्दगी को हटाने हेतु वर्ष 1992-93 में 34 लाख रुपये का प्रावधान है। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के लिये वर्ष 1992-93 में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

108. बाड़मेर नगर एवं बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों के ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इन्दिरा गांधी नहर से एक लिफ्ट योजना को सिद्धान्ततः स्वीकृति दी जा चुकी है और कार्य प्रारम्भ कराने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 1992-93 में कराया जाना प्रस्तावित है।

109. वर्ष 1992-93 में 2000 राजस्व ग्रामों, 500 ढाणियों व मजरों एवं 2000 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वाली बस्तियों को पेयजल सुलभ कराने का लक्ष्य है। प्रदेश के ग्रामों, ढाणियों व मजरों में रहने वाली ग्रामीण जनता की पेयजल समस्याओं का पूर्ण आंकलन कर मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।

भू-जल

110. राज्य में भू-जल संसाधनों के विकास हेतु भू-जल विभाग ने नवम्बर, 1991 तक 464 नए नलकूप निर्मित किये एवं 2356 कुओं को गहरा किया जिनमें अनुसूचित जाति के 645 एवं जनजाति के 1172 कुएं हैं। इन प्रयासों से 1430 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाई गई।

111. इस वर्ष से राज्य के कुछ जिलों की डार्क जोन का सूक्ष्म (माइक्रोलेवल) सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है। शेष बेसिन्स का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण विश्व बैंक की सहायता से शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा।

सार्वजनिक निर्माण

112. सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक आबादी वाले 259 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना शेष

था। वर्ष 1991-92 में 102 गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं शेष 157 गांवों को निर्बन्ध निधि योजना के तहत सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

113. वर्ष 1992-93 में सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें 23.75 करोड़ रुपये का व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर किया जावेगा।

114. वर्ष 1991-92 में आबू-अम्बाजी सड़क पर सूरपगला नदी, बांसवाड़ा के पास माकड़िया नाला, तथा साबी नदी के पुल पर निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें यातायात के लिये खोल दिया है। विभिन्न नदियों पर 11 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिनमें कोटा-चित्तौड़गढ़ सड़क पर आहू नदी पर, सलूम्बर-भिण्डर सड़क पर गौमती नदी पर, दौसा-सिरस्का सड़क पर बाणगंगा नदी पर एवं कोटा-बारां सड़क पर आलनिया नदी पर बन रहे पुलों को 1992 के मानसून से पहले पूर्ण कर दिया जावेगा। बीकानेर के रानी बाजार में तथा अलवर में रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है।

115. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कों, डाकू प्रभावित क्षेत्र की सड़कों एवं अन्तर्राज्यीय सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 1992-93 में 13.23 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 8 जयपुर-दिल्ली पर 17 किलोमीटर में चार लेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अचरोल से कोटपूतली की चार लेन का 90 करोड़ रुपये का कार्य भी एशिया विकास बैंक की सहायता से किया जा रहा है। विश्व बैंक की सहायता से राज्य में 868 कि. मी. लम्बे 7 राज्य मार्गों को क्रमोन्नत, सुदृढ़ एवं विस्तार करने हेतु वर्ष 1992-93 में 30 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

116. दरगाह शरीफ अजमेर क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 7.60 करोड़ रुपये की एक बृहद् योजना तैयार की गई है जिसे चार चरणों में पूरा किया जावेगा। इस हेतु वर्ष 1992-93 में 1.10 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

उद्योग एवं खनिज

117. वर्ष 1991-92 में प्रदेश में औद्योगीकरण की प्रगति काफी उत्साहवर्द्धक रही है। कई महत्वपूर्ण उद्योगों को प्रदेश में आकर्षित करने में सफलता मिली है जिसमें अल्यूमिनियम रेडियेटर प्रोजेक्ट भी है जो फोर्ड मारुति समूह द्वारा हाथ में लिया जावेगा। फरवरी, 1992 तक रीको ने 21.35 करोड़ रुपये एवं राजस्थान वित्त निगम ने 85 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है।

118. भारत सरकार ने हाल ही में धौलपुर में एक नया ग्रोथ सेन्टर विकसित करने की स्वीकृति दी है जिससे अब प्रदेश में पांच ग्रोथ सेन्टर हो जायेंगे।

119. भिवाड़ी को एक "आदर्श" औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए तृतीय चरण में 27 करोड़ रुपये खर्च कर 570 एकड़ भूमि का विकास किया जा रहा है इस राशि में विद्युत मण्डल द्वारा व्यय किए जाने वाली राशि सम्मिलित नहीं है। यह प्रथम परियोजना है जिसके लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) बोर्ड द्वारा निगम को 9.57 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई है। उद्योगों की बिजली की मांग की आपूर्ति हेतु 220 के.वी. की डबल सर्किट लाईन, जो अलवर से भिवाड़ी के 220/132 उपकेन्द्र को जोड़ेगी, का निर्माण कार्य 1992-93 में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

120. प्रदेश से किये जा रहे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पुरस्कारों से सम्मानित किये

जाने का प्रस्ताव है। उद्योगपतियों एवं खान स्वामियों द्वारा वनरोपण के श्रेष्ठतम प्रयास को भी पुरस्कृत किया जावेगा।

121. खनिज क्षेत्रों में सड़कों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है पर अर्थाभाव के कारण आवश्यकता के अनुरूप इनका निर्माण सम्भव नहीं होता। मेरा प्रस्ताव है कि खान स्वामी संगठित रूप से यदि प्रस्तावित सड़क का 50 प्रतिशत खर्चा वहन करलें तो शेष 50 प्रतिशत सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाए।

122. राजस्थान खनिज अप्रधान नियमावली, 1986 में अवैध खननकर्ताओं से रायल्टी के 12 गुना के बराबर खनिज कीमत वसूल करने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने अब 12 गुना के स्थान पर खनिज कीमत को रायल्टी के 25 गुना के बराबर मानने का निर्णय लिया है। आशा है इस कदम से अवैध खनन को रोकने में सहायता मिलेगी।

राजकीय उपक्रम

123. प्रदेश में कार्यरत 41 राजकीय उपक्रमों में 31 मार्च, 1990 तक 708 करोड़ रुपये की संचित हानि थी। इसमें 556 करोड़ रुपये की हानि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की है। मण्डल को छोड़कर शेष उपक्रमों ने वर्ष 1989-90 में 17.80 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। इन उपक्रमों में जो लाभ अंकित हुआ है वह पूंजी के विनियोजन को देखते हुए निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

124. राजकीय उपक्रमों के वित्तीय एवं भौतिक परिणामों में सुधार लाना बड़ी चुनौती है। इन उपक्रमों में लगभग एक लाख श्रमिक नियोजित हैं। किसी भी उपक्रम को बन्द किया जाता है तो श्रमिकों की समस्या उभर कर सामने आती है। कई ऐसे उपक्रम हैं जिनका कार्यक्षेत्र सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है अतः उनका

निजीकरण भी आसानी से नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि वे राजकीय उपक्रमों की माली हालत पर मनन कर राज्य सरकार को इनके सुधार हेतु रचनात्मक सुझाव दें।

125. इन उपक्रमों की विस्तृत समीक्षा कर उनकी कार्य प्रणाली में सुधार हेतु एवं हानि में चल रहे उपक्रमों के विकल्प के बारे में सुझाव देने हेतु राज्य सरकार ने मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसके सुझाव प्राप्त होते ही उन पर समुचित विचार किया जावेगा।

खादी तथा ग्रामोद्योग

126. सरकार की वर्ष 1990 की औद्योगिक नीति में खादी तथा ग्रामोद्योग इकाइयों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। वर्ष 1992-93 में उदयपुर की खादी संस्थाओं के माध्यम से "पोस्ट सेरीकल्चर" कार्यक्रम स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से हाथ में लिया जावेगा।

स्थानीय निकाय

127. कच्ची बस्ती सुधार कार्यक्रम के तहत मूलभूत सेवाओं के लिए वर्ष 1992-93 में 57,143 परिवारों को लाभान्वित करने हेतु 300 लाख रुपये का प्रावधान है।

128. जयपुर व जोधपुर में वर्ष 1992-93 में रेन बसेरा निर्माण कार्यक्रम पूरा कर लिया जावेगा। अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ में रेन बसेरों के निर्माण कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित है जिसके लिए 20 लाख रुपये का प्राव-धान है।

129. सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1992-93 में 225 लाख रुपये का प्रावधान है। नेहरू

रोजगार योजना के तहत वर्ष 1992-93 में 12,600 गरीब व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसी योजना के वैतनिक रोजगार कार्यक्रम में वर्ष 1992-93 में 345 लाख रुपये का प्रावधान है।

130. विकलांगों, बच्चों, महिलाओं आदि को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए एक वृहद् योजना बनाई जा रही है जिसके तहत विकलांगों के लिए 100 दुकानों का निर्माण, बच्चों के खेल व उद्यान हेतु 10 स्थानों का चयन, सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण एवं चार बड़े नगरों में वृद्धों एवं शिशुओं के लिए विश्राम स्थलों का निर्माण किया जावेगा। साथ ही शहर की हरिजन व कच्ची बस्तियों का भी विकास किया जाएगा। इस वृहद् योजना के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

131. जयपुर शहर की मुख्य सड़कों के विकास एवं विस्तार का कार्य 260 लाख रुपये के खर्चे से वर्ष 1992-93 में पूर्ण कर लिया जावेगा। पैदल यात्रियों की सुविधा हेतु अजमेरी गेट पर 70 लाख रुपये की लागत का भूमिगत रास्ते का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

परिवहन

132. राजस्थान मोटर परिवहन यान पथ कर अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत वाहनों पर लगाये गये पथ कर से 26 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आय प्राप्त होगी। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए वायु प्रदूषण नियंत्रण के कार्यक्रम को अधिक गति देने का प्रस्ताव है। विभाग की कार्य प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम बनाया गया है। सड़क सुरक्षा के उपायों का सुदृढ़ीकरण किया जावेगा तथा हाईवे पेट्रोलिंग हेतु चिकित्सा विभाग को एक एम्बूलेंस देने का प्रस्ताव है।

पर्यटन

133. पर्यटन के विकास की विपुल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1992-93 में 5.50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

134. उदयपुर, माउण्ट आबू, कोटा और चित्तौड़गढ़ में पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। डीग (भरतपुर), बालोतरा (बाड़मेर) में टूरिस्ट लाज, नाथद्वारा में यात्री निवास तथा नागौर में टूरिस्ट बंगले का निर्माण करवाया जावेगा।

राज्य सैनिक बोर्ड

135. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये इस समय अजमेर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनूं व भरतपुर में स्वरोजगार योजना (सेक्सम) चलाई जा रही है। वर्ष 1992-93 में इस योजना को अलवर व नागौर जिलों में भी प्रारम्भ किया जावेगा।

युवा मामले एवं खेल कूद

136. युवा कार्यक्रम एवं खेल कूद कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये जयपुर स्टेडियम परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तरण ताल एवं इण्डोर स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके निर्माण में 2.27 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। आशा है यह कार्य वर्ष 1993-94 में पूर्ण हो जावेगा। वर्ष 1992-93 में निम्न नये कार्यक्रम प्रस्तावित हैं :—

(1) विद्याधर नगर, जयपुर में 29 एकड़ जमीन पर भारत सरकार के सहयोग से एक बड़े स्टेडियम का निर्माण।

(2) सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर परिसर में साईकिलिंग बैलोड्रोम का निर्माण।

(3) जोधपुर एवं अजमेर के अलावा चित्तौड़गढ़ में भी एक करोड़ रुपये की लागत के स्पोर्टस् प्रोजेक्ट डवलपमेन्ट एरिया केन्द्र का प्रारम्भ ।

(4) पंचायत समिति मुख्यालयों पर अल्पकालीन खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति एवं खेल उपकरण उपलब्ध कराना।

न्याय

137. राज्य की जनता को सस्ता व सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु लोक अदालतों के माध्यम से निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। लीगल एड कमेटी के सुदृढ़ीकरण का भी प्रस्ताव है। वर्ष 1992-93 में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय, 12 नये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने एवं 15 मुन्सिफ व ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालयों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है।

पुलिस

138. माननीय सदस्यों को विदित ही है कि राजस्थान सीमावर्ती राज्य होने के कारण आतंककारी गतिविधियों की दृष्टि से संवेदनशील है। इस दृष्टि से राज्य में दो नयी आर. ए. सी. बटालियनों का गठन किया गया है। पुलिस के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन की 11 करोड़ रुपये की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। ग्रामीण पुलिस थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 1992-93 में 80 जीपें उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है।

139. प्रशासन को चलाने में सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका है। मुझे यह कहते हुए संतोष है कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने उनके कल्याणार्थ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इस हेतु दो समितियां भी बनी और उनकी सिफारिशों पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किये गये। अब राज्य कर्मचारियों को 9वें, 18वें एवं 27वें वर्ष की सेवा के उपरान्त उच्च वेतन शृंखला का लाभ दिया जाएगा बशर्ते कि इस बीच उनकी पदोन्नति नहीं हुई हो। वेतन विसंगति समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप 92 श्रेणियों के कर्मचारियों को 24 नई वेतन शृंखलाओं में समायोजित किया गया है जिससे लगभग 35,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि इसी भावना के अनुरूप राज्य कर्मचारी भी अपने दायित्वों को सच्ची सेवा भावना से निभायेंगे जिससे आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सके।

वर्ष 1991-92 के संशोधित अनुमान :

140. वर्ष 1991-92 के अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में 39.70 करोड़ रुपये का घाटा आंका गया था जो अब संशोधित अनुमान 1991-92 के अनुसार 25.94 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के घाटे में 13.76 करोड़ रुपये का सुधार हुआ है। यह सुधार मुख्यत: राज्य में कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के परिणामस्वरूप है। मैंने पिछले बजट भाषण में सदन को यह आश्वासन दिया था कि इस घाटे की पूर्ति कई उपायों से की जायेगी। मुझे खुशी है कि मैं काफी हद तक इस घाटे की पूर्ति कर सका हूं।

141. वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

	(करोड़ रुपयों में)
1. राजस्व प्राप्तियां	4592.27
2. राजस्व व्यय	4768.30
3. राजस्व खाते में घाटा	(−) 176.03
4. पूंजीगत प्राप्तियां	1685.85
5. योग (3 तथा 4)	1509.82
6. पूंजीगत व्यय	1508.63
7. शुद्ध योग (5−6)	(+) 1.19

142. पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय में भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम के रूप में प्राप्त होने वाली और उसके चुकारे की राशि सम्मिलित है।

143. वर्ष 1991-92 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में रहे 25.94 करोड़ रुपये के घाटे को जोड़ने के पश्चात् वर्ष 1992-93 के अन्त में समग्र घाटा 24.75 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

144. मेरे द्वारा प्रस्तावित किए गए कार्यक्रमों के लिये यद्यपि आय-व्ययक अनुमानों में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है फिर भी यदि कुछ कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता होगी तो उसके लिये यथासमय समुचित कार्यवाही की जावेगी।

कर प्रस्ताव

145. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता रही है कि करारोपण की नीति ऐसी हो जिसमें कर का भार निर्बल, गरीब एवं असहाय पर कम से कम हो। कर का आधार ऐसा हो जिससे कृषि के विकास को संबल मिले व व्यवसाय एवं उद्योगों का विस्तार हो। कर कानूनों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जावे जिससे कर चोरी पर प्रभावी अंकुश हो, व्यापार व उद्योग का अन्य राज्यों में व्यपवर्तन न हो तथा पूरा देय कर राजकोष में जमा हो। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर तथा पिछले दो वर्षों के बजटों की परम्पराओं का निर्वाह करते हुए, मैंने इस वर्ष के बजट प्रस्तावों को भी सर्वहितोन्मुखी बनाने का प्रयास किया है।

146. मैं माननीय सदस्यों का ध्यान राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के द्वितीय परिशिष्ट के आइटम संख्या 35 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें लीज पर मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है। औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली भूमि की कीमत, अन्य विकास व्यय के साथ, विकास शुल्क के नाम से वसूल की जाती है। किन्तु न्यायिक-निर्णयों के कारण विकास शुल्क पर मुद्रांक कर लिया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त प्रावधान में संशोधन प्रस्तावित है जिससे विकास शुल्क पर भी मुद्रांक कर का आरोपण हो सकेगा। इस संशोधन से लीज पर दी जाने वाली आवासीय भूमि के विकास शुल्क पर मुद्रांक कर नहीं लगे, कानून में संशोधन के उपरांत, आवश्यक अधिसूचना जारी करदी जावेगी। मैं, अपने बजट भाषण के उपरान्त, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पुरःस्थापित करूंगा।

147. कर प्रस्तावों के क्रम में, मैं सदन का ध्यान राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम के प्रावधानों की ओर आकर्षित

करना चाहूंगा जिनके अन्तर्गत आवासीय एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि एवं भवनों के लिये एक मुश्त कर जमा कराने का विकल्प उपलब्ध है। समय की मांग को ध्यान में रखते हुए, मैं व्यवसायिक भवन एवं भूमि के लिये भी एक मुश्त कर के विकल्प का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। अपने बजट भाषण के उपरांत, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1992 पुरःस्थापित करूंगा जिसमें इस संशोधन के साथ कुछ अन्य संशोधनों का भी प्रस्ताव है।

148. मैं यह मानकर चलता हूं कि बहुत ऊंची दर पर कर लगाने से कर चोरी तो बढ़ती ही है, तथा इसके साथ आम उपभोक्ता, व्यवसाय एवं उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंततः ऐसा कर प्रतिगामी और अनुत्पादी सिद्ध होता है। इसी अवधारणा के अनुवर्तन में, मैं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 5 में संशोधन के जरिये, 75 प्रतिशत तक कर लगाये जा सकने वाली सीमा को घटाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

149. (क) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 3 में व्यवसायियों के पंजीकरण के लिये टर्नओवर की न्यूनतम सीमायें निर्धारित हैं। राज्य के बाहर से माल आयातित करने वाले व्यवसायियों के वार्षिक टर्नओवर की न्यूनतम सीमा, 25 हजार रुपयों से बढ़ाकर, 50 हजार किये जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार सहकारी समितियों के लिए निर्धारित 70 हजार रुपयों की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1.00 लाख करना प्रस्तावित है। इसके अलावा पंजीयन के लिये पांच हजार रुपयों से अधिक कर देय बिक्री की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर दस हजार करने का प्रस्ताव है।

(ख) इसी क्रम में, स्वकर निर्धारण योजना को अधिक उदार बनाने के लिये दो निर्णय लिये गये हैं:–

(i) तीन लाख रुपयों तक के टर्नओवर वाले आयातकर्ता एवं निर्माता, जो अब तक इस योजना की परिधि के बाहर हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

(ii) इस योजना का लाभ लेने के लिये पिछले वर्ष की कर देय बिक्री की तुलना में कम से कम 15 प्रतिशत अधिक कर देय बिक्री होने की शर्त में भी शिथिलता प्रदान करते हुये उसे 10 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इन संशोधनों से छोटे-छोटे व्यवसायी कर निर्धारण की कठिनाई से मुक्त हो सकेंगे तथा विभाग के अधिकारी बड़े व्यवसायियों के कर सम्बन्धी मामलों की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

150. कृषि इस प्रदेश के सामान्य लोगों का जीवनाधार है। इसलिए कृषि-क्षेत्र में उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर निम्नांकित राहत दी जा रही है:–

(क) माननीय सदस्य भूले नहीं होंगे कि पिछले वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने, खरीफ की फसलों यथा बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, मोठ, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन एवं ग्वार के प्रमाणित बीजों के विक्रय पर लगने वाली कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट दी थी। निरंतर अकाल की विभिषिका से इस प्रदेश की खरीफ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है और इन परिस्थितियों में अधिक उपज

के लिये, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। अतः मैं उक्त फसलों के प्रमाणित बीजों को पूर्णतः कर मुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

(ख) पिछले बजट के समय स्प्रिंकलर सिंचाई एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली में प्रयुक्त साधनों पर विक्रय कर की दर को 10 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत किया गया था। इस प्रदेश में पानी के सीमित साधनों को देखते हुए मैं इस मत का हूँ कि पानी की एक-एक बूँद का सदुपयोग होना चाहिये। अतः मैं उक्त कर को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।

(ग) सब्जियों के बीजों को सीलबंद पैकिंग में बेचा जाता है तो उनके विक्रय पर 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जाता है। इनकी आम उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, इस कर को भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(घ) पिछले वर्ष अखण्डित अस्थियों एवं अस्थीचूर्ण पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इनका प्रयोग खाद के लिये भी किया जाता है। अब अस्थियों के अन्य रूपों के विक्रय पर भी लगने वाले 10 प्रतिशत कर को समाप्त किया जाता है।

151. महिलायें, विकलांग, आदिवासी, निर्धन एवं असहाय समाज के वे अंग हैं जिनकी ओर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए इनके लिये मैं कुछ विशेष सुविधाओं की घोषणा करता हूँ :–

(क) यह दुर्भाग्य का विषय है कि महिलाओं के प्रतिदिन काम आने वाली छोटी-मोटी वस्तुओं के विक्रय पर कर लगता है और वह भी 10 प्रतिशत की दर से। मेरा यह मानना है कि ऐसी वस्तुओं पर कर लगना ही नहीं चाहिये। अतः मैं तवा, कढ़ाई, चिमटा, छलनी, छाजला, इमामदस्ता, ओखली, मूसल, चूहेदानी, अंगीठी/सिगड़ी, सरोता, हैयर बैंड, हैयर क्लिप, बच्चों को दूध पिलाने की बोतल एवं उसकी निपल के विक्रय को पूर्णतया कर मुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

(ख) ईंधन की बचत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, नूतन विक-स्टोव के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को भी समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।

(ग) देश के लिये शहीद हुये सैनिकों की विधवाओं के लिये 'मिलिट्री-कैन्टीन' से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर कर-मुक्ति की उसी सीमा को रखने की घोषणा करता हूँ, जो सैनिकों को उपलब्ध है।

(घ) छात्रों को राहत देने की दिशा में फाउन्टेन पैन एवं बाल पॉइंट पैन तथा इनके पुर्जों एवं उपसाधनों पर लगने वाले 6 प्रतिशत कर को; नक्शों, शिक्षण-चार्ट, उपकरण-मंजूषा, विच्छेदन-मंजूषा, शिक्षण-ग्लोब, विज्ञान, गणित, सर्वेक्षण, यांत्रिकी एवं जैविकीय उपकरण एवं तंत्र, ड्राइंग, ड्राइंगबोर्ड, डस्टर और टी-स्क्वेयर के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को, और स्कूल-बैग जो चर्म से नहीं बने हैं, पर लगने वाले 4 प्रतिशत कर को, पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।

(ङ) विद्यार्थियों की खेलों के प्रति अधिक अभिरुचि हो, इस प्रवृति को संवर्धित करने के लिये बेडमिंटन का रैकट, शटल काक एवं नैट, टेबिल टेनिस बैट, बाल

एवं नेट, टेनिस रैकेट, बाल एवं नेट, हैंडबाल ब्लैडर सहित, जेवेलिन, हैमर, डिस्कस, हाईजम्प बार एवं जिमनास्टिक की वस्तुओं के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को घटा कर 6 प्रतिशत किया जाता है ।

(च) विकलांगों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में, कृतिम अंग, विकलांगों के लिये व्हील चेयर एवं ट्राइसिकल, ओडियो मीटर, स्पीचट्रेनर पर 10 प्रतिशत की दर से लगने वाले कर को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार ब्रेल टाइप राइटर, ब्रेल छपाई की मशीन, ब्रेल कागज, किताब एवं स्लेट तथा ब्रेल घड़ियों को भी बिक्री कर से मुक्त करने की घोषणा करता हूँ ।

(छ) निर्बल तबकों और आदिवासी लोगों के लिये भी कर की कुछ विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :—

(i) शहद, महुआ के फूल, करंज, नीम्बोली एवं पीलू के बीजों पर 10 प्रतिशत की दर से लगने वाले कर को समाप्त किया जा रहा है ।

(ii) बाण-मूंज से बनाई गई लकड़ी की चारपाई को जिसके विक्रय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगता है, कर मुक्त किया जा रहा है ।

152. शुद्ध पर्यावरण हमारा जीवन है । वायु प्रदूषण जीवन के लिये खतरा है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास भी है कि लकड़ी का, फर्नीचर के रूप में प्रयोग कम हो ताकि वृक्षों की कटाई कम हो। इसके लिये यह आवश्यक है कि धातु के फर्नीचर के उपयोग को बढ़ावा मिले । इन परिस्थितियों के अनुक्रम में धातु के फर्नीचर, लोहे की अलमारी, सेफ एवं चेस्ट, जिन पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगता है, को घटा कर 10 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ ।

153. सामान्य उपभोक्ता एवं सर्वसाधारण के हित को ध्यान में रखते हुए, करों में निम्नांकित परितोष देने के निर्णय लिये गये हैं :—

(क) डबलरोटी के विक्रय पर लगने वाले 2.5 प्रतिशत कर को, मोमबत्ती, हेलमेट, थर्मामीटर, बांस, खजूर, खील, मुरमुरा, भुने-चने, रेवड़ी, गजक एवं तिलपट्टी के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ ।

(ख) रेडीमेड वस्त्रों के विक्रय पर लगने वाले 6 प्रतिशत कर को घटा कर 4 प्रतिशत, ऊन, कृत्रिम ऊन एवं विशुद्ध रेशम से बने होजरी-उत्पादों के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को घटा कर 4 प्रतिशत और अगरबत्ती के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को घटा कर 4 प्रतिशत किया जाता है।

154. इस प्रदेश में कुटीर उद्योगों का अपना विशिष्ट स्थान है । लाखों कामगार इन उद्योगों से अपना जीविकोपार्जन करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि राजस्थान की सदियों पुरानी हस्तशिल्प कला व कौशल को अपनी कार्यकुशलता व लगन से सम्बल देने वाले कारीगरों तथा शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं तथा उनके उपयोग में आने वाले छोटे-मोटे औजारों पर 10 प्रतिशत की दर से करारोपण होता है । इन्हें राहत देने हेतु मैं निम्नांकित घोषणायें करता हूँ ।

(क) लकड़ी, प्लास्टिक, लाख, धातु, अस्थी, श्रृंग (होर्न) एवं सूचिशिल्प कपड़ा और चर्म पर निर्मित हस्तशिल्प

को दो सौ रुपयों तक की कीमत की वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की दर से लगने वाले कर को समाप्त करने की घोषणा करता हूं।

(ख) कारीगरों और शिल्पकारों के काम में आने वाले उपकरण यथा गुरमाला, करणी, सावल, गुणिया, रन्दा, वसूला, मुगरी, पेंच, सुआ एवं फर्मा के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को भी समाप्त किया जाता है।

(ग) खजूर के पत्तों तथा इन पत्तों से निर्मित अन्य सामान जैसे टोकरी, टाटे, पंखे, पर्दे, चटाई को पूर्णत: कर मुक्त किया जाता है।

(घ) श्वेत धातु से निर्मित दो सौ रुपयों तक की वस्तुओं के विक्रय को भी कर मुक्त किया जाता है।

(ङ) रेशम-कृमि एवं कृमिकोष को कर मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

(च) इस प्रदेश में विशेषकर जयपुर में रजाई बनाने के धंधे में गरीब तबके के लोग लगे हुए हैं। इनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिये रजाई एवं रजाई कवर के विक्रय पर लगने वाले 2.5 प्रतिशत कर को भी समाप्त करने का निश्चय किया गया है।

(छ) प्राकृतिक रबर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाली छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिये रबर की खरीद पर लगने वाले तीन प्रतिशत कर को घटा कर एक प्रतिशत करने की घोषणा की जाती है।

155. व्यावसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से यह प्रदेश कई अन्य प्रदेशों की तुलना में पीछे है। इस प्रदेश के व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिये मैं निम्नलिखित उपायों की घोषणा करता हूं :—

(क) व्यवसायियों को अधिक जमा राशि के रिफंड में होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 23 में संशोधन प्रस्तावित है, जिससे रिफंड हेतु आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा रिफंड की राशि पर दिये जाने वाले 12 प्रतिशत ब्याज की दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

(ख) व्यावसायिक जगत् में विक्रय कर के सम्बन्ध में कई प्रकार के विवादास्पद प्रश्न उठते हैं, जिनके निर्णय के अभाव में व्यवसायियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 12क में सिर्फ दो ही प्रकार के विवादास्पद प्रश्नों पर निर्णय देने का अधिकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग में निहित है। अब निम्नलिखित विवादास्पद प्रश्नों को और जोड़ा जाना प्रस्तावित है :—

(i) क्या किसी व्यवहारी का पंजीकरण अनिवार्य है ?

(ii) क्या कोई व्यवहार, विक्रय की परिभाषा में आता है, और यदि हां, तो विक्रय मूल्य क्या होगा ?

(iii) क्या कोई 'प्रोसेसिंग' निर्माण की परिभाषा में आती है ?

संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 7 (3) में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं।

(घ) व्यवसायी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 60 दिन के अन्दर पंजीयन-प्रमाण-पत्र जारी करने की समयावधि को घटा कर 30 दिन किया जा रहा है।

(ङ) आग, बाढ़ या दंगों के कारण वैधानिक घोषणा पत्रों के नष्ट हो जाने पर, व्यवसायियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि घोषणा पत्रों के अभाव में उन पर अतिरिक्त कर दायित्व का भी संधारण हो जाता है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, एस. टी. 17 प्रपत्रों के नष्ट होने पर उनके प्रस्तुतीकरण को विमुक्त कर सकता है। राजस्थान विक्रय कर नियमों में एक नया नियम 25 ङ को जोड़कर उक्त परिस्थितियों में सभी प्रकार के घोषणा पत्रों के प्रस्तुतीकरण को विमुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(च) निर्माता व्यवसायियों को अधिघोषित सीमा तक रिबेट प्राप्त करने का अधिकार है। किन्तु उनको रिबेट प्राप्त करने के लिए वर्तमान लेखा प्रणाली के आधार पर पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने की दिशा में, विक्रय कर नियमों के नियम 43 एवं 44 क में संशोधन किये जा रहे हैं, जिससे व्यवसायी कर मुक्त, कर प्रदत्त एवं करयोग्य माल के खाते अलग-अलग रखेंगे तथा विक्रय प्रपत्रों पर भी 'कर मुक्त' या 'कर

ताकि इस प्रकार के खाते एवं विक्रय-पत्र, रिबेट के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली साक्ष्य के भाग माने जा सकें।

(छ) राजस्थान खादी एवं ग्रामीण मंडल तथा खादी एवं ग्रामीण आयोग से सहायता प्राप्त साबुन बनाने वाली अधिसूचित इकाईयों की एवं एक लाख रुपयों तक के टर्नओवर वाली साबुन की लघु इकाईयों की व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने के लिये निम्नांकित संशोधनों की घोषणा करता हूं :-

(i) कर-मुक्ति की अधिकतम सीमा के लिए सिर्फ साबुन की ही बिक्री की गणना की जावेगी और

(ii) कर-मुक्ति के लिये अधिघोषित सीमा से अधिक बिक्री पर ही कर आरोपित किया जायेगा।

(ज) भवन, सड़क, बांध, पुल एवं नहर के कर्मान्त संविदाओं के मामलों में 3 प्रतिशत की दर से अग्रिम कर स्रोत पर काटने का प्रावधान है। वाणिज्यिक कर विभाग का यह अनुभव रहा है कि छोटे एवं मध्यम श्रेणी के ठेकेदार, संविदाओं में काम आने वाले अधिकतर माल का क्रय राज्य में ही कर चुकाकर करते हैं जिससे उनके द्वारा देय कर कम होता है और कर निर्धारण के उपरांत उन्हें, अधिक काटी गई कर की राशि ब्याज सहित वापिस लौटानी होती है। अतः सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त, पचास लाख रुपयों तक के संविदाओं पर एक प्रतिशत और पचास लाख रुपयों से अधिक तथा एक करोड़ रुपयों तक के संविदाओं पर दो प्रतिशत

के विमुक्त शुल्क के विकल्प का निर्णय लिया गया है। एक करोड़ रुपयों से अधिक के संविदाओं पर वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी।

(झ) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, व्यावसायिक दृष्टि से भी कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। पुराने एच. डी. पी. ई. थैलों पर 10 प्रतिशत की दर से लगने वाले कर को तथा 'टैक्सटाइल्स', खण्डसारी और सल्फर चीनी के साथ बेची जाने वाली पैकिंग सामग्री पर 5 प्रतिशत की दर से लगने वाले कर को, समाप्त किया जा रहा है।

156. विक्रय कर की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए तथा आम उपभोग की छोटी-मोटी चीजों पर अनावश्यक रूप से लगे कर में राहत देने की दृष्टि से कुछ अन्य प्रस्तावों की भी घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार हैं :—

(क) सण, चपड़ी, लाख, कपूर एवं रहल व रहल बाक्स जो अभी कर योग्य हैं, को कर मुक्त किया जा रहा है।

(ख) सभी प्रकार की पैकिंग सामग्री, कत्था, स्क्रीन डिजाइन, अभ्रक, कच्ची ऊन एवं वूल-टाप के विक्रय पर 5% की दर से कर देय है। इन सभी वस्तुओं पर 5% कर की दर को घटा कर 4 प्रतिशत किया जा रहा है। इसी प्रकार 75 रुपये तक की कीमत की डिजिटल घड़ियों पर लगने वाले कर को 12 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत किया जा रहा है।

(ग) एक्सरे उपकरणों एवं उपसाधनों के विक्रय पर लगने वाले 12 प्रतिशत कर को घटा कर एक्सरे मशीन पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर के बराबर किया जा रहा है। इमली के पाउडर के विक्रय पर लगने वाले 10% कर को घटाकर 4 प्रतिशत, 'ग्रेबोर्ड' 'ड्यूपलेक्स बोर्ड' एवं 'पल्प बोर्ड' को पैकिंग सामग्री में शामिल करते हुए इनके विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत की दर को घटाकर 4 प्रतिशत, ताम्बे के तारों, ताम्बे के सुपर इनेमल्ड तारों एवं डबल कॉटन कवर्ड ताम्बे के तारों के विक्रय पर लगने वाले 6 प्रतिशत कर को घटाकर 4 प्रतिशत और एच.डी.पी.ई. पाइप के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को घटाकर 8 प्रतिशत, करने की घोषणा की जाती है।

157. जहां मैंने समाज के कमजोर वर्गों को सुविधायें देने के लिये अनेक राहत दी हैं तथा कर की दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयत्न किया है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विकास के लिये आवश्यक संसाधन जुटाने के लिये निम्नांकित उपायों की घोषणा करता हूं :—

(क) एयर-कन्डीशनर एवं एयर कन्डीशनर प्लांट के विक्रय पर लगने वाले 12 प्रतिशत कर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक घरेलू उपकरणों के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत एवं इलेक्ट्रोनिक कैमरों के विक्रय पर लगने वाले 12 प्रतिशत कर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) डिनेचर्ड स्पिरिट, पोपीसीड एवं आतिशबाजी के सामान के विक्रय पर लगने वाली वर्तमान कर दर में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है।

(ग) व्यावसायिक दृष्टि से काफी भेड़ बकरे राजस्थान से बाहर भेजे जाते हैं। इनकी कीमतों में विगत वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन प्रति नग कर की दर

चार वर्ष से 9/- रुपये ही चली आ रही है। अब इस प्रति नग दर को बढ़ाकर 12/- रुपये किया जा रहा है।

(घ) विक्रय कर की दरों में अन्तर के कारण राजस्थान के बाहर से काफी नये वाहन खरीद कर लाये जाते हैं। इससे जहां एक तरफ राजस्व की हानि होती है वहीं दूसरी ओर इस राज्य के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम के अन्तर्गत नियमों का संधारण कर कुछ शर्तें निर्धारित की जा रही हैं, जिनकी अवहेलना करने पर ऐसे मामलों में राजस्थान के विक्रय कर की दर के बराबर ही प्रवेश कर देय हो जावेगा।

158. राजस्थान राज्य मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत व्यावसायिक वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर एक मुश्त यानकर का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की शेड्यूल के पार्ट I आइटम III (ए) में वर्णित वाहनों पर कर राशि में निम्न संशोधन किये जा रहे हैं :-

वाहन किस्म	वर्तमान दर (रुपयों में)	संशोधित दर (रुपयों में)
1. ड्राईवर सहित चार व्यक्तियों की सीटिंग कैपेसिटी वाले मोटर वाहन	2500/-	3000/-
2. ड्राईवर सहित पांच व्यक्तियों की सीटिंग कैपेसिटी वाले मोटर वाहन	3000/-	3500/-
3. ड्राईवर सहित छः व्यक्तियों की सीटिंग कैपेसिटी वाले मोटर वाहन	3500/-	4000/-

159. मेरी सरकार कर चोरी को रोकने के लिये कृत संकल्प है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष का बजट प्रस्तुत करते वक्त भी कर चोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये, विक्रय कर कानून में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गये थे। उसी क्रम में इस वर्ष भी राजस्थान विक्रय कर अधिनियम में एक नई धारा 16 ग जोड़ने का प्रस्ताव है तथा राजस्थान विक्रय कर नियमों के नियम 63 (3) में भी संशोधन किया जा रहा है।

160. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम से संबंधित उपरोक्त वर्णित एवं कुछ अन्य प्रस्तावों, जिनमें विधि में संशोधन प्रस्तावित है, को क्रियान्वित करने हेतु बजट भाषण के उपरांत, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1992 पुरःस्थापित करूंगा।

161. मेरे बजट भाषण में जहां एक ओर कृषि एवं कुटीर उद्योगों को संबल देने की उद्घोषणा है, सामान्य उपभोक्ता, कमजोर वर्ग, विकलांग, महिलाओं एवं छात्रों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर करों में कमी या करों की मुक्ति का समावेश है और व्यावसायिक जगत की अनावश्यक परेशानियों को कम कर उसे सुविधा प्रदान करने की झलक है, वहीं दूसरी ओर कानून को हाथ में लेकर कर चोरी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने का भी संकल्प है।

162. राजस्व आय को बढ़ाने का प्रयास करने तथा कर चोरी रोकने हेतु विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार तथा विभाग की छवि निखारने व राजस्व आय बढ़ाने में जो अधिकारी और कर्मचारी उत्कृष्ट कार्य करेंगे, उन्हें राज्य सरकार सम्मानित करेगी।

163. बिक्री कर में कुल प्रस्तावित राहत से राज्य को वित्तीय वर्ष 1992-93 में लगभग 5 करोड़ रुपयों की हानि होने

का अनुमान है। इसके विपरीत अतिरिक्त कर संसाधनों से करीब 2.50 करोड़ रुपयों की आय होने का अनुमान है।

164. बजट के आय-व्ययक अनुमान के अनुसार 1992-93 के अंत में 24.75 करोड़ रुपयों का घाटा अनपूरित रहेगा। अतिरिक्त कर लगाने के बावजूद बिक्री कर में दी गई छूट व रियायतों के फलस्वरूप इस घाटे में 2.50 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। बजट में की गई अतिरिक्त घोषणाओं की क्रियान्विति पर 21.90 करोड़ रुपयों का व्यय अगले वर्ष होना सम्भावित है। इस प्रकार, बजट में कुल अनपूरित घाटा 49.15 करोड़ रुपये रहेगा। इसकी पूर्ति अप्र धातुओं पर हाल ही में बढ़ाई गई रायल्टी से अगले वर्ष की संभावित अतिरिक्त आय 20 करोड़ रुपये तथा आयकर व केन्द्रीय आबकारी शुल्क से प्राप्त होने वाली 35.24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय से की जायेगी। इस प्रकार वार्षिक योजना में 20 प्रतिशत वृद्धि करने तथा 21.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजट घोषणाओं के बावजूद 1992-93 के अंत में घाटे के बजाय बचत की स्थिति बनती है। इसको देखते हुए हम विकास व्यय को और भी बढ़ाते, पर केन्द्रीय बजट द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना में जमा की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी.सी.ए. में मिलने वाली छूट समाप्त कर देने तथा अन्य संशोधनों के कारण, जमाकर्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अल्प बचत योजनाओं के आधार पर हमने अगले वर्ष 300 करोड़ रुपये के साधनों का अनुमान किया था। परन्तु अब हमें यह आशंका है कि अल्प बचत से 300 करोड़ रुपये की अनुमानित आय में करीब 60 करोड़ रुपये की कमी रहेगी। अतः 1992-93 के अंत में 53.91 करोड़ रुपये का अनपूरित घाटा रहेगा। राज्य की अल्प बचत योजनाओं पर केन्द्रीय नीतियों के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में भारत सरकार से बातचीत के अलावा करों की चोरी पर रोकथाम कर, बेहतर कर संग्रहण तथा अनुपयोगी

खर्चों में मितव्ययता करके हम अनपूरित घाटे की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे।

165. मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि हम राज्य के विकास के लिये तथा आम जनता की खुशहाली के लिये हर संभव प्रयत्न करते रहेंगे। इन प्रयत्नों में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इस प्रदेश के महान भविष्य की कामना करते हुए, मैं, वर्ष 1992-93 का बजट अनुमान विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द।